न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 32/2016

अपीलांट
1.सगतसिंह पुत्र खीमसिंह
2.गंगसिंह पुत्र खीमसिंह
3.प्रतापसिंह पुत्र खीमसिंह
जाति राजपूत निवासी लांपलनाडी
तहसील,बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट
राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार,बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 20.08.2014 द्वारा तहसीलदार,बाड़मेर

उपस्थितः– 1.अपीलांट्स के अधिवक्ता अनुपस्थित।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 31.01.2018

1. अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार,बड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2014 के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी का भूमि खेत खसरा नम्बर 732 रकबा 202 बीघा 10 विस्वा मौजा लांपलनाडी(नांद) में आया हुआ है। इस भूमि के खातेदारों द्वारा कुल 06 विस्वा भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में सर्मपण किया। अपीलांट्स का यह कथन है कि उसने अपनी कृषि जोत की भूमि का कभी भी सर्मपण नहीं किया है। प्रस्तुत सर्मपण आवेदन फर्जी एंव कूट रचित हस्ताक्षर कर पारित किया गया है। इसलिये खसरा नम्बर 732 मौजा लांपलनाडी(नांद) में रकबा 06 विस्वा भूमि का सर्मपण का आदेश दिनांक 20.08.2014 निरस्त किया जाए। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का भी निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

3. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन जारी किया एंव अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनीं। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट्स की मौजा लांपलनाडी(नांद) के खसरा नम्बर 732 रकबा 202 बीघा 10 विस्वा में अपीलांट्स द्वारा 06 विस्वा भूमि का किसी प्रकार का सर्मपण आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया। अपीलांट्स कभी भी तहसील कार्यालय बाड़मेर में नहीं गये और न ही तहसीलदारजी के समक्ष उपस्थित हुए। सर्मपण पत्र पर पहचान कर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलांट्स अनपढ एंव वृद्ध व्यक्ति है, जिसने अपनी कृषि जोत का कभी सर्मपण नहीं कराया है। सर्मपण विलेख पर अपीलांट्स के फर्जी एंव कुटरचित हस्ताक्षर किये गये है। सर्मपण आदेश में कहीं भी भूमि को सर्मपण करने का आधार व कारण नहीं दर्शाया गया है और भूमि सर्मपण किस उद्देश्य से की गई है,उसका भी नहीं बताया गया है। मियाद के सम्बन्ध में उनका यह तर्क है कि अपीलांट्स ने अपनी खातेदारी भूमि के किसी भू भाग का सर्मपण नहीं किया और सर्मपण पत्र का ज्ञान पटवारी की सूचना पर नकले मांगने पर आदेश का वास्तविक ज्ञान अपीलांट्स को हुआ तथा ज्ञान की तारीख से यह अपील अंदर मियाद पेश की है। इसलिये अपील स्वीकार कर सर्मपण आदेश निरस्त किया जाए।

5. इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि मौजा लांपलनाडी (नांद) के खसरा नम्बर 732 रकबा 202 बीघा 10 विस्वा में बीघा 10 विस्वा में 06 विस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने हेतु अपीलांट्स सहित समस्त खातेदारों ने सर्मपण आवेदन पत्र पेश किया। जिसके आधार पर तहसीलदार बाड़मेर ने सर्मपण आदेश दिनांक 20.08.2007 स्वीकार किया है,जो सही है। अतः अपीलांट्स की अपील निरस्त की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली एंव प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा लांपलनाडी(नांद) के खेत खसरा नम्बर 732 रकबा 202 बीघा 14 विस्वा आयी हुई है। इस खसरान के खातेदार अपीलांट्स एंव अन्य खातेदारों द्वारा समर्पित की गई भूमि पर भविष्य में काश्त नहीं करना अकित कर इस भूमि में से 06 विस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में सर्मपण हेतु एक आवेदन तहसीलदार, बाड़मेर के समक्ष पेश किया है। इस आवेदन पत्र पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। पहचानकर्ता ने पहचान दी है। जिसके आधार पर तहसीलदार,बाड़मेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2007 द्वारा सर्मपण

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

स्वीकार किया है। इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की यह अपील सारहीन एंव आधार हीन होने से निरस्त की जाती है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner